रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6, 1976/फाल्गुन 16, 1897
No. 111] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6, 1976/ PHALGUNA 16, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 1976

S.O. 175(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976) the Central Government hereby appoints the 8th day of March, 1976, as the date on which the said Act shall come into force in respect of employments in banks, insurance companies and other financial institutions.

[No. P. 11025|61|75-WC].

T. S. SANKARAN, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1976

का० आ० 175 (अ).—समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मार्च, 1976 के आठवें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको बैंकों, बीमा कम्पनियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में नियोजनों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं० पी० 11025/61/75—डब्ल्यू० सी०]

टी० एस० शंकरन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976